

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)
जगदीश बनाम विद्या आदि

प्रकरण का प्रकार प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी क्रमांक 172 सन 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
19.05.2022	<p>प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी वास्ते आदेश पेश हुआ। विद्वान अभिभाषकगण को प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील संख्या 7/2008 अनवानी जगदीश बनाम विद्या आदि दिनांक 27.08.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है। दिनांक 27.08.2021 को श्रीमान न्यायालय के फर्द अहकाम में अपीलांट की उक्त अपील अपीलांट के अभिभाषक के उपस्थित न आने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई है, जबकि दिनांक 27.08.2021 को प्रार्थी के अभिभाषक श्रीमान न्यायालय में उपस्थित थे एवं अन्य पत्रावलीयों में उनकी उपस्थिति दर्ज है। पत्रावली अंतिम बहस हेतु मुकर्रर है। प्रार्थी की अपील में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना था। अपील अदम हाजरी में खारिज होने से अपीलाण्ट/प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। अपील में गुणावुणों पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2007 खारिज होने योग्य है अतः इस अपील को पुनः रेस्टोर फरमाया जावे।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। प्रार्थी अपने अधिवक्ता से उक्त अपील में अग्रिम कार्यावाही हेतु संपर्क नहीं कर सका जिसके कारण उसकी अपील अदम हाजरी में खारिज हो गई थी। प्रकरण में अहम दस्तावेज मौजूद थे एवं मामला अचल संपत्ति से संबंधित था जिसमें गुणावगुण के आधार पर एवं दोनों पक्षकारों के उपस्थिति में निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 19 स्वीकार किया जाता है एव अपील संख्या 7/2008 अनवान जगदीश बनाम विद्या आदि में</p>	



Lano
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 निरस्त किया जाता है।
अपील पुनः बाजवा नम्बर पर दर्ज की जावे। प्रार्थना-पत्र
निर्णित शुमार हो। *Levis*

19/5/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

